।। श्रीः ।।

चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला
504

श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितप्रणीता

वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

'श्रीधरमुखोल्लासिनी' हिन्दी व्याख्या-समन्विता

(स्त्रीप्रत्यय, कारक एवं समास प्रकरण)

(प्रत्येक सूत्रों में पद-प्रदर्शन, समास, अनुवृत्तिक्रम, सूत्रार्थ,
भाष्य-मनोरमा-शेखर के अनुसार विस्तृत एवं सुगम व्याख्या,
प्रयोगसिद्धि, धातुओं के प्रत्येक लकारों के रूप,
क्लिष्ट रूपों की सिद्धि एवं परिशिष्ट सहित)

(द्वितीय भाग)

व्याख्याकारः
श्रीगोविन्दाचार्यः

सम्पादिका
लक्ष्मी शर्मा

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन
वाराणसी

प्रकरणानुक्रमणिका

१.	स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्	०१
२.	कारकप्रकरणम्	१७१
३.	अव्ययीभावसमासप्रकरणम्	३६५
४.	तत्पुरुषसमासप्रकरणम्	४२८
५.	बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्	६६३
६.	द्वन्द्वसमासप्रकरणम्	७९३
७.	एकशेषप्रकरणम्	८४५
८.	सर्वसमासशेषप्रकरणम्	८६५
९.	समासान्तप्रकरणम्	८७२
१०.	अलुक्समासप्रकरणम्	९०५
११.	समासाश्रयविधिप्रकरणम्	९४३
१२.	अकारादिक्रमेण सूत्रानुक्रमणिका	१०५६
१३.	अकारादिक्रमेण वार्तिकाद्यनुक्रमणिका	१०६५

अथ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्

स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण प्रारम्भ होता है। इससे पूर्व षड्लिङ्ग और अव्यय प्रकरण में प्रातिपदिकों का वर्णन किया गया। वहाँ निर्णय किया गया कि **प्रातिपदिक के ग्रहण में लिङ्गबोधक-प्रत्यय-विशिष्टों (शब्दों) का भी ग्रहण होता है।** यहाँ जिज्ञासा बनी रहती है कि वे लिङ्गबोधक प्रत्यय कौन है, जिनसे युक्त शब्द का भी प्रातिपदिक के ग्रहण में ग्रहण हो जाता है? इस जिज्ञासा की शान्ति के लिये ही प्रातिपदिकों के प्रकरण के अनन्तर ही यह स्त्रीप्रत्ययप्रकरण दिया गया है। सामान्यतया जो शब्द पहले पुँल्लिङ्ग में हो और उसे स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग करने की आवश्यकता होने पर उनसे तथा स्वाभाविक ही स्त्रीलिङ्ग में रहने वाले शब्दों से स्त्रीलिङ्गबोधक प्रत्यय किये जाते हैं। ऐसे शब्द जो धातुओं से प्रत्यय करके कृदन्त बने हों या प्रातिपदिकों से प्रत्यय होकर तद्धितान्त बने हों अथवा अर्थविशेष में समास किये गये हों, या फिर अव्युत्पन्न हों तो ऐसे सभी शब्दों से भी **स्त्रीत्व** अर्थबोधन करने की इच्छा होने पर अर्थात् स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर स्त्रीलिङ्गबोधक प्रत्यय होते हैं परन्तु प्रायः अजन्त शब्दों से उनमें भी ज्यादातर अकारान्त शब्दों से ये प्रत्यय किये जाते हैं। हलन्त शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा होने पर भी स्त्रीत्वबोधक प्रत्यय प्रायः कम ही होते हैं।

छात्र, नर, मनुष्य पुँल्लिङ्ग हैं, इनसे स्त्रीलिङ्गबोधक प्रत्यय होकर **छात्रा, नारी, मानुषी** शब्द बनते हैं। इस प्रक्रिया के लिए व्याकरणशास्त्र में कुछ प्रकृति-विशेष से कुछ प्रत्ययों का विधान है। ये प्रत्यय **स्त्रियाम्** इस सूत्र के अधिकार में आते हैं। **प्रत्ययः** और **परश्च** का पूरा अधिकार है। **ङ्याप्प्रातिपदिकात्** से **प्रातिपदिकात्** का भी अधिकार है। **स्त्रियाम्** के अधिकार में आने वाले प्रत्यय हैं- **टाप्, डाप्, चाप्, ङीप्, ङीष्, ङीन्, ऊङ्** और **ति**। इनमें से **टाप्, चाप्** और **डाप्** इन तीनों को **आप्**-शब्द से ग्रहण किया जाता है और **ङीप्, ङीष्** और **ङीन्** का **ङी**-शब्द से ग्रहण किया जाता है। जैसे कि **हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्** इस सूत्र में **आप्** और **ङी** इन प्रत्ययों के अन्त में होने पर तदन्त शब्दों से परे सु आदि का लोप किया जाता है और **औङ आपः, आङि चापः** आदि में भी **आप्** का कथन है।

लिङ्ग का निर्धारण तो **लिङ्गानुशासन** प्रकरण के अन्तर्गत ही हो सकता है किन्तु स्त्रीलिङ्ग के बोधन के लिए कौन-सा प्रत्यय लग सकता है, यह वर्णन इस प्रकरण